रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2016/श्रावण 26, 1938
No. 327] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2016/SRAVANA 26, 1938

दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय

अधिसूचना

पटना, 16 अगस्त, 2016

प्रस्तावना

फा.सं. सीयूएसबी/प्रथम अध्यादेश/2016.—केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश निम्नलिखित रूप में विनिर्मित किया जाता है। यह "दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रथम अध्यादेश" के नाम से अभिहित किया जाएगा।

"बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं, क्रमश: "दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय" शब्द रखे जाएंगे।

डॉ. गायत्री विश्वनाथ पाटिल, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./214(380ए)]

भाग – I

विश्वविद्यालय के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण

अध्यादेश - I

कुलपति की सेवा की नियम व शर्तें तथा शक्तियां एवं कार्य

[अधिनियम की धारा 28(1) (ओ) एवं 11; सांविधि 2(6)]

1.1 शक्तियां एवं कार्य :

कुलपति विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यपालक एवं प्रमुख हैं और अधिनियम एवं सांविधि के प्रावधानों के अतिरिक्त उनकी सेवाओं में निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी तथा उनकी शक्तियों एवं कर्तव्यों में अन्य के साथ निम्नलिखित भी शामिल होंगे:-

1. अपनी शक्तियों को दिनानुदिन कार्य हेतु प्रति कुलपति(यों), अधिष्ठाताओं, विभागों/ केंद्रों के अध्यक्षों एवं अन्य अधिकारियों को प्रत्यायोजित करना जिन्हें इस कार्य को स्पष्ट निर्मित/निर्धारित विनियमों के आधार पर करना चाहिए।

2. अल्पकालिक अस्थायी पदों का निर्माण एवं उनके विरूद्ध नियुक्ति जिनकी अवधि छह माह से अधिक न हों।